बीकानेर नगर निगम

gksVy ,o jsLVksjs.V] csdjh] feBkbZ] iku vkfn dh nqdku ds fu;a=.k ,o fu;eu mifof/k;kW&2010

राजस्थान नगर निगम अधिनियम,2009 (अधिनियम सं. 18 सन् 2009) की धारा 340 की उपधारा (1) के खण्ड (जे) के उपखण्ड (IV) सहपठित धारा 269 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीकानेर नगर निगम एतद् द्वारा निम्नलिखित उपविधियां बनाती हैः–

1. **laf{kIr uke] lhek rFkk çHkko**– ये विधियॉ बीकानेर नगर निगम (होटल एवं रेस्टोरेण्ट, बेकरी, मिठाई, पान आदि की दुकान के नियंत्रण व नियमन) उपविधियॉ 2010 कहलायेगी।
   (अ) ये उपविधियॉ बीकानेर नगर निगम की सीमा में प्रभावशील होगी।
   (ब) ये उपविधियॉ तत्काल रूप से प्रभावी होगीं।

2. **ifjHkk"kk,Wa%&** जब तक अर्थ में असंगतता अथवा भव में विपरीतताा न आती हो, निम्नांकित शब्दों की परिभाषाऍ निम्न प्रकार होंगी। इनके अतिरिक्त उपयुक्त अन्य शब्दों की परिभाषा वही होगी जो राजस्थान नगर निगम अधिनियम 2010 में व्यवहृत है।
   1. अधिनियम से तात्पर्य राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 (राजस्थान अधिनियम 18 सन् 2009) से है।
   2. अध्यक्ष से तात्पर्य निगम के महापौर से है।
   3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी से अभिप्रेत है मुख्य कार्यपालक अधिकारी/आयुक्त से है।
   4. अनुज्ञाधारी से तात्पर्य अनुज्ञापत्र के धारक से है।
   5. अनुज्ञापत्र से तात्पर्य इन उपविधियों के अंतर्गत प्रदान किये गये या किये जाने वाल अनुज्ञापत्र से है।
   6. समिति से तात्पर्य नगर निगम द्वारा धारा 55 के अन्तर्गत गठित समिति से है।
   7. अनुज्ञा प्राधिकारी से तात्पर्य इन उपविधियों के प्रयोजनार्थ निगम द्वारा अधिकृत अधिकारी से है।
   8. निगम से तात्पर्य बीकानेर नगर निगम से है।
   9. प्रपत्र से तात्पर्य इन उपविधियों के साथ संलग्न प्रपत्र से है।
   10. स्वामी में अभिकर्त्ता, सेवक, प्रबन्धक एंव अधिवासी सम्मिलित है।
   11. होटल से व्यक्तियों के भोजन सहित या रहित ठहराने के लिए काम में आने वाला भवन अभिप्रेत है।
   12. रेस्टोरेण्ट (अल्पाहार गृह) से तात्पर्य उस भवन या भवन के भाग से है जहॉ भोजन, पेय, अल्पाहार, आईस केण्डी या बर्फ तैयार की जाती है या विक्रयार्थ रखी जाती है तथा उसमें चाय कॉफी कहवा, दुध, दही, लस्सी, शर्बत,नमकीन,रस आदि व गेस युक्त पेय पदार्थो की दुकानें, ढाबा भोजनालय आदि सम्मिलित है।
   13. बेकरी से तात्पर्य भवन या भवन के उस भाग से है जहॉ बिस्कुट, केक, डबल रोटी, क्रीमरोल, ब्रेड, टोस्ट पेस्ट्री या अन्य इसी प्रकार के पदार्थ तैयार किये जाते है या विक्रयार्थ रखे जाते है।
   14. ''मिठाई की दुकान'' से तात्पर्य भवन या भवन के उस भाग से है जहॉ किसी प्रकार की मिठाई नमकीन, चाट, पुड़ी, साग सब्जी तथा पताशा, मिश्री, बूरा व अन्य किसी प्रकार के पदार्थ तैयार किये जाते है अथवा विक्रयार्थ रखे जाते है,

15. इसमें चाय की दुकान सम्मिलित है। चाय की दुकान से तात्पर्य उस सील से है जहां चाय, कॉफी आदि तैयार की जाती है अथवा विक्रयार्थ रखी जाती है।
16. ''पान की दुकान'' से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो खोमचे या साईकिल ठेले में फेरी लगाकर मिठाई, नमकीन, चाट, बीड़ी, सिगरेट आदि पदार्थ विक्रय करता है।
17. ''वाणिज्य संस्थन'' से तात्पर्य उस भवन या भवन के भाग से है जहॉ किसी प्रकार के खाद्य व पेय पदार्थ जैसे हर प्रकार के अनाज, दालें, आटा, मसालें साबुत या पिसे हुए सभी प्रकार के आडिबल आयल व अन्य सभी प्रकार के खाद्य व पेय पदार्थ जो मानव उपभोक्ता के उपयोग में आते हो उनको तैयार किया जाता हों अथवा विक्रयार्थ रखे जाते हों या संचित किया जाता हो प्रदर्शित किये जाते हों से हैं जिसमें गोदाम भी सम्मिलित है।
18. ''खोमचे वालों'' से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो खोमचे या साईकिल ठेले में फेरी लगाकर मिठाई, नमकीन, चाट, बीड़ी, सिगरेट आदि पदार्थ विक्रय करता है।
19. ''मीट, मटन व मच्छी, अण्डे की दुकान''से तात्पर्य है किसी भवन या भवन के भाग में उक्त वस्तुओ का विक्रय किया जाता हो अथवा संग्रह किया जाता हो सभी प्रकार के एनिमल फूड भी सम्मिलित होगें।
20. ''कन्फैक्शनरी व सूखे मेवे की दुकान'' से तात्पर्य उस भवन या भवन के भाग से है जहॉ सूखें मेवे कनफैक्शनरी का सामान विक्रय के लिये रखा जाता हो अथवा संचित किया जाता हो अथवा तैयार किया जाता हो सम्मिलित होगा।
21. ''होकर्स'' से तात्पर्य है कि नगर निगम क्षेत्र में कही भी फेरी करते हूए किसी भी प्रकार का खाद्य व पेय पदार्थ कोई भी व्यक्ति बिक्री करेगा अथवा बिक्री के लिए प्रदर्शित करेगा जिसमें हर प्रकार की सूखी हरी सब्जियॉ व फल सम्मिलित होगा और दूध बेचने वाले व्यक्ति भी सम्मिलित होगा।
22. ''फैक्ट्री'' से तात्पर्य उस भवन या भवनप के भाग से है जहॉ पेय पदार्थो व मसालों, आडिबल आयल को तैयार किया जाता हो या पेय पदार्थ तैयार किया जाता हों अथवा विक्रय किये जाते हैं।

(3) fcuk vuqKki= ds gksVy vkfn pyk;s tkus ij çfrcU/k% कोई भी व्यक्ति बीकानेर नगर निगम की सीमा के भीतर अनुज्ञा पत्र प्राप्त किये बिना किसी भी स्थान को होटल, रेस्टोरेण्ट, बेकरी, मिठाई, पान आदि की दुकान के रूप में प्रयोग नहीं करेगा और न ही ऐसे स्थानों पर इस प्रयोजनार्थ किसी प्रकार का कोई उत्पादन करेगा।

(4) vuqKk çkf/kdkjh dh fu;qfDr% इन उपविधियों के प्रयोजनार्थ स्वास्थय और स्वच्छता समिति अनुज्ञा प्राधिकारी होगी।

(5) vuqKk i= ds fy;s çkFkZuk i=%

1. कोई भी व्यक्ति/संस्था/फर्म/कंपंनी/समूह/बीकानेर नगर निगम सीमा में होटल, रेस्टोरोण्ट, बेकरी, मिठाई और पान आदि की दुकान के रूप में किसी स्थान को प्रयुक्त करने की अपेक्षा करता है, प्रपत्र 1 में जो नगर निगम कार्यालय से 25 रू के मुल्य से प्राप्त होगा, प्रार्थना पत्र आयुक्त को प्रस्तुत करेगा। अनुज्ञार्थी उक्त प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तावित स्थान का दुहरा मानचित्र तथा होटल, रेस्टोरण्ट, के रूप में प्रयुक्त किये जाने वाले स्थान की अवस्था में जलोत्सारण व्यवस्था को स्पष्टतया अंकित करते हुए प्रदर्शित करेगा।
2. प्रपत्र –1 में प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी अपने अधिनस्थ अधिकारी जो स्वच्छता निरीक्षक के पद से नीचे का नही होना चाहिए से रिपोर्ट प्राप्त करेगा।
3. खण्ड (2) में मुख्य नगरपालिका अधिकारी के आश्वस्त हो जाने पर अनुज्ञा प्राधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र निर्णय हेतु प्रस्तुत होगा प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति का ओदश देने पर अनुज्ञार्थी निर्धारित शुल्क जमा करायेगा। शुल्क जमा होने के पश्चात मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा अनुज्ञा पत्र जारी किया जायेगा।

4. यदि अनुज्ञा प्राधिकारी द्वारा स्थान का निरीक्षण किया जाता है एवं उसके पश्चात् अनुज्ञापत्र जारी किये जाने के लिए यदि आश्वस्त न हो तो वहि काराण अभिलेखित करते हुए प्रार्थना–पत्र अस्वीकार करेगा अथवा जो दोष हो उन्हे ऐसी यथोचित अवधि में, जो अनुज्ञा–प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट की जावे, दुर किये जाने के लिए अनुज्ञार्थी को सूचित करेगा। यदि निर्दिष्ट समयावधि मे अनुज्ञार्थी द्वारा दोष दूर नही किये जावें तो प्रार्थना पत्र अस्वीकृत समझा जावेगा।

¼6½ vuKki= dh vof/k& (1) इन उपविधियों के अधीन जारी किये गये प्रत्येक अनुज्ञापत्र की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 1 वर्ष के लिये होगी। अनुज्ञापत्र शुल्क पूरे वर्ष का देय होगा चाहे अनुज्ञापत्र वर्ष के किसी माह में प्राप्त किया गया हो।

¼7½vuKki= dk uohuhdj.k&¼1½ प्रत्येक वर्ष अनुज्ञा पत्र का निर्दिष्ट शुल्क जमा कराये जाने पर उसका नवीनीकरण किया जा सकेगा। बशर्ते कि अनुज्ञापत्र के नवीनीकरण किये जाने में अनुज्ञा–प्राधिकारी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति न हो। अनुज्ञा पत्र के नवीनीकरण किये जाने में अनुज्ञा–प्राधिकारी द्वारा किसी प्रकार की कोई आपत्ति किये जाने पर अनुज्ञाधारी को लिखित में कारण अंकित करते हुए तदनूसार सूचित किया जावेगा।

(2) प्रत्येक अनुज्ञाधारी अनुज्ञापत्र की अवधि समाप्त होने पर 15 अप्रैल तक नवीनीकरण करा सकेगा। इसके पश्चात् 1रू प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त शुल्क देय होगा। जो कि किसी भी स्थिति में अनुज्ञा–शुल्क की मूल राशि से अधिक नही होगा।

¼8½ vLFkkbZ vuKki=&& कोई भी व्यक्ति जो किसी विशिष्ट अवसर पर किसी स्थान को होटल, रेस्टोरेण्ट बेकरी मिठाई व अन्य पान आदि की दुकान के रूप में प्रयुक्त करने की अपेक्षा करता है तो वह तत्प्रयोजनार्थ अस्थाई अनुज्ञापत्र जिसकी अवधि 1 माह से अधिक नही होगी प्राप्त कर सकेगा।

(2) खण्ड 1 मे जारी किये जाने वाले अस्थायी अनुज्ञा प. का शुल्क निर्धारित शुल्क का 1/6 भाग होगा।

¼9½ vuKki= vgLrkarj.kh; gksxk& (1) इन उपविधियों के अन्तर्गत जारी किया गया कोई भी अनुज्ञा पत्र जिस स्थान व व्यक्ति के लिए अथवा जिस कार्य के लिये दिया जावेगा उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नही हो सकेगा तथा अनुज्ञा पत्र अहस्तांतरणीय होगा।

(2) प्रत्येक अनुज्ञाधारी अनुज्ञापत्र को अपने वाणिज्यक भवन पर कॉच के रूप में मण्डाकर सहज गोचर स्थान पर प्रदर्शित करेगा।

¼10-½ vuKki= dk fuyEcu ;k fujLrhdj.k& कोई भी अनुज्ञापत्र जन सुरक्षा अथवा जन स्वास्थय के आधार पर अथवा अनुज्ञाधारी द्वारा इन उप विधियों की शर्तो के उल्लघंन किये जाने पर अनुज्ञा–प्राधिकारी द्वारा निलम्बित या निरस्त किया जा सकेगा। खण्ड (1) में अनुज्ञा पत्रों के निरस्तीकरण करने से पूर्व अनुज्ञाधारी को एतदर्थ कारण बताने का यथोचित अवसर प्रदान किया जावेगा।

¼11½ vuKk i= 'kqYd& अनुज्ञा पत्र का शुल्क निम्न प्रकार देय होगाः–

1.	बजट होटल (1, 2, 3, सितारा होटल)	प्रतिवर्ष	3000रू/वर्ष
2.	मिड मार्केट होटल (4 सितारा होटल)	प्रतिवर्ष	5000रू/वर्ष
3.	5 सितारा होटल या उससे ऊपर की श्रेणी के होटल	प्रतिवर्ष	10000रू/वर्ष
4.	जहॉ यात्रियों के लिये 10 कमरों से अधिक की व्यवस्था नही हो	प्रतिवर्ष	1500रू/वर्ष
5.	जहॉ यात्रियों के लिये 10 कमरों से अधिक की व्यवस्था हो (10 कमरों से अधिक के प्रति कमरा 100 रू प्रति वर्ष)	प्रतिवर्ष	1500रू/वर्ष
6.	रेस्टोरेण्ट	प्रतिवर्ष	500रू/वर्ष
7.	केवल चाय की दुकान	प्रतिवर्ष	100रू/वर्ष

8.	केवल बर्फ, सोडा, लैमन, शर्बत आदि उत्पादन एवं विक्रय की दूकान (चाय की दुकान को छोडते हूए)	प्रतिवर्ष	200रू / वर्ष
9.	उत्पादन एवं विक्रय की फैक्ट्री तथा खाद्य व पेय पदार्थो की दुकान	प्रतिवर्ष	500रू / वर्ष
10	बेकरी	प्रतिवर्ष	300रू / वर्ष
11	मिठाई की दुकान	प्रतिवर्ष	500रू / वर्ष
12	पान / नमकीन की दुकान	प्रतिवर्ष	100रू / वर्ष
13	होकर्स आदि की दुकान	प्रतिवर्ष	100रू / वर्ष

स्पष्टीकरण :– प्रतिवर्ष से तात्पर्य वित्तीय वर्ष से है।
अनुज्ञा पत्र शुल्क प्रत्येक अवस्था में अग्रिम रूप से लिया जायेगा।

12- vuKki=k dh lkekU; 'krsZ&

(1) जिस स्थान के लिए अनुज्ञा पत्र दिया जाना प्रस्तावित हो वह अपेक्षित व्यापार के लिए उपयुक्त तथा पर्याप्त रूप से विस्तीर्ण होगा।

(2) अनुज्ञा पत्र शुदा स्थान पर्याप्त रूप से प्रकाश युक्त व हवादार होगा।

(3) धुँआ निकलने के लिए अनुज्ञाधारी द्वारा चिमनी की पर्याप्त व्यवस्था की जावेगी, ताकि जहॉ ग्राहको को भोजन या पेय पदार्थ परोसें जावें वहॉ उनको असुविधा न हो सके।

(4) अनुज्ञाधारी द्वारा गन्दे पानी के निकास के लिए निर्देशानुसार जलोत्सरण व्यवस्था की जावेगी। यदि सोकष्टि की व्यवस्था हो तो वह अनुज्ञा प्राधिकारी द्वारा निंदिष्ट स्थान पर निर्मित किया जावेगा तथा जलोत्सारण का उससे संबंध किया जावेगा तथा जलात्सारण का उससे संबंध किया जावेगा।

(5) होटल एवं रेस्टोरेण्ट में शौचालय अनिवार्य रूप से फ्लश प्रणाली के बनानें होगें तथा मुत्रालय का उचित प्रावधान भी किया जावेगा।

(6) उपयोग मे लिए जाने वाले जल को सदैव स्वच्छ पात्रों में रखा जावेगा तथा ऐसे पात्रों को प्रत्येक दिवस प्रातः व सॉय साफ किया जावेगा। ऐसे पात्रों को किसी उच्च स्थान पर इस प्रकार रखा जावेगा कि उनमें बाहरी किटाणू या दूषित पदार्थ प्रवेश नही कर सके। तथा उन्हें सदैव ढक्कनों से आच्छादित कर रखा जावेगा। भोजन परोसने एवं खाद्य पदार्थ तैयार करने के संपूर्ण पात्र पीतल, कॉसी स्टेनलेस स्टील, चीनी या कॉच के होगें तथा पीतल के पात्रों पर यथा समय कलई करवाई जावेगी। अल्युमिनियम धातु के कोई पात्र तक कि अध्यक्ष की अनुमति नही दे दी गई हो, काम में नही ली जावेगी।

(7) यदि जन को किसी टंकी में एकत्रित किये जाने की व्यवस्था हो, तो टंकी केवल धातु की बनी होगी तथा उसे प्रत्येक प्रकार से स्वच्छ रखा जावेगा ऐसी टंकी भूतल से कम से कम 125 सेमी. की ऊचॉई पर होगी। इस टंकी को सदैव ढक्कन आच्छादित कर रखा जावेगा। यदि जल की व्यवस्था सीधे किसी कूँए से है तो तदर्थ नियमों का पालन किया जावेगा।

(8) अनुज्ञा पत्र शुदा स्थान की संपूर्ण दीवारें भूतल से 125 सेमी. की ऊचॉई तक सीमेण्ट प्लास्टर या इस प्रकार की पक्की बनी होगी ताकि उसमें किसी प्रकार की नमी होने की संभावना न हो । शेष दीवारों पर भली प्रकार से सफेदी अथवा प्लास्टर किया जावेगा। सफेदी वर्ष में दो बार अविा आवश्यकता होने पर अनुज्ञा प्राधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार समय समय पर करवाई जावेगी। बेकरी, मिठाई की दुकान, बर्फ या गैस युक्त जल के उत्पादन के लिए यन्त्रालयों की अवस्था में सीमेण्ट प्लास्टर या अन्य पक्का प्लास्टर या भूतल से 250 सेमी. की ऊचॉई तक होगा। अनुज्ञापत्र अनुज्ञापत्र शुदा स्थान की छतें सादा रखी जावेगी ताकि उन पर किसी प्रकार के धूल कण या जाले एकत्रित नहीं हो सके। फर्श संपूर्ण सीमेण्ट, चिप्स या टाईल्स की बनी होगी तथा उसके नीचे जलोत्सारण व्यवस्था का उचित प्रावधान किया जावेगा।

(9) अनुज्ञाधारी की पूर्व अनुमति के बिना अनुज्ञा पत्र शुदा स्थान पर किसी भी समय पशु नही रखे जावेगें।

(10) (अ) अनुज्ञाधारी अनुज्ञा पत्र शुदा स्थान को सदैव साफ रखेगा।

(आ) अनुज्ञाधारी पत्र शुदा स्थान पर एकत्रित होने वाले कुड़े करकट को एतदर्थ रखे गये धातु के पात्रों मे एकत्रित करेगा और प्रत्येक दिवस एकत्रित कूडे करकट को र्निधारित स्थान पर निष्पादित किया जावेगा तथा प्रति दिवस उन्हें आवश्यकतानुसार स्वच्छ रखा जावेगा।

(इ) अनुज्ञाधारी अनुज्ञापत्र शुदा स्थान को प्रत्येक दिवस तथा आवश्यकतानुसार समय समय पर रूपेण धोयेगा एवं शौचालय व मूत्रालयों को किटणुनाशको से समय समय पर धोयगा।

(ई) अनुज्ञापत्र शुदा स्थान से एकत्रित होने वाले संपूर्ण गंदे पानी को तुरन्त बहाया जायेगा अथवा ऐसी व्यवस्था रखी जावेगी की पानी तुरन्त बह जाये।

(उ) व्यापार के लिए प्रयोजनार्थ समस्त फर्नीचर, तस्तरियों, टोकरीयों, पात्र बर्तन व उनसे संबंधित अन्य वस्तुऐं सदैव स्वच्छ रखी जावेगी।

(11) तस्तरियॉ, कप, प्लेट, चम्मचे कॉटे एवं अन्य समस्त बर्तन जो परोसने के प्रयोजनार्थ हों को सदैव स्वच्छ जल से ापूर्ण उबलते हूए गर्म पानी या भाप में पॉच मिनट तक उबालकर कीटाणू रहित किया जावेगा।

(12) प्रत्येक टेबिल, बैच या तख्ता जिस पर भोजन, चाय या अल्पाहार परोसा जावेगा, का ऊपरी तल संगमरमर या पालिशदार पत्थर, सनमाईका अल्युमिनियम या अन्य ऐस ही पदार्थ का बना होगा जो आसानी से साफ किया जा सके। प्रत्येक परोसगारी के बाद ऊपरी तल को स्वच्छ कपड़े से साफ करना होगा।

(13) संपूर्ण खाद्य सामग्री, पेय पदार्थ, मसाले, साग सब्जी आदि जो व्यापार में प्रयोजनार्थ प्रयुक्त हो, अच्छे ताजे एवं आरोग्यप्रद होगें तथा निर्मित या उत्पादित भोज्य या खाद्य सामग्री जो तत्काल प्रयोग के लिये नही है, बन्द डिब्बे जो गैल्बनाइज्ड लोहे के बने होगें या अन्य धातु के पात्र मे रखें जावेगें तथा उन्हें किसी भी रूप में फर्श पर खुला नही छोड़ा जावेगा।

(14) अनुज्ञाधारी परोसगारी के लिये ऐसे कामगारों को काम पर रखेगा जो स्वच्छ कपड़े पहनते हो।

(15) ऐसा कोई भी खाद्य पदार्थ जो मुख्य नगरपालिका अधिकारी या नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी की सम्मति मे सड़ा हुआ, बासी , अस्वास्थयकर, निषिद्ध तथा अन्य किसी प्रकार से मानवीय उपयोग के लिए अनुचित हो वाणिज्यिक भवन में न तो भण्डारित किया जावेगा न परोसा जावेगा और नही विक्रय किया जावेगा अथवा विक्रय के लिए प्रदर्शित किया जावेगा।

(16)(क) सूखे मेवे फलों के कटे हूए टुकड़े, पका हुआ भोजन या अन्य संपूर्ण प्रकार के भोज्य पदार्थ खाद्य एवं पेय वस्तुऐं जो वाणिज्यिक भवन में मानव उपयोग के लिये तैयार रखी गई हों उन्हे इस प्रकार भण्डारित किया जावेगा या विक्रय के लिये प्रदर्शित किया जावेगा कि उनमें वायु संचालित न हो सके।

(ख) ऐसी वस्तुऍ जो विक्रय के लिये प्रदर्शित की जावें उन्हे बर्तनों या तस्तरियों में जो कॉच चीनी मिट्टी की या इनेमिल्ड धातु या चद्दर की बनीं होगी, कॉच की अलमारियों या अवाश्यकता हो तो जालियों में इस प्रकार रखा जावेगा कि उनमें वायु संचालित न हो सके।

(ग) किसी भी ऐसी वस्तु को हाथ से नहीं छुवा जावेगा तथा उन्हे परोसने के लिए सदैव स्वच्छ चमचे, कॉटे या अन्य अनुसांगिक वस्तुऍ प्रयुक्त की जावेगी।

(17) सम्पुर्ण प्रकार के रद्दी कागज, थैलियॉ, व पत्ते जो खाद्य पदार्थो को लपेटने के लिये प्रयुक्त किये जावें साफ होगें एवं स्वच्छ रेकों या सन्दूको मे भण्डारित किये जावेगें।

(18) अनुज्ञाधिकारी व्यापार के प्रयोजनार्थ चाहे वह विक्रय से संबंधित हो या उत्पादन से ऐसे किसी व्यक्ति को नियोजित नहीं करेगा जो किसी घृणास्पद, छूत या किसी अन्य सांस्पर्गिक रोग से पीड़ीत किसी व्यक्ति के संपक्र में तुरन्त रहा हो या स्नान किया हुआ न हो या अस्वच्छ हो।

(19)(अ) अनुज्ञाधिकारी किसी भी ऐसे व्यक्ति को वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ नियोजित नहीं करेगा जब तक कि उसको अपने प्रथम नियोजन के समय चिकित्सा प्राधिकारी को इस बात का प्रमाण पत्र प्रस्तुत न कर दे कि वह किसी सांस्पर्सिक छूत या घृणित ज्वर, हैजा या ऑव जैसे रोगो से ग्रस्त रहा हों। कभी भी गंभीर रोग से ग्रसित होने के बाद वह पुनः कार्यरत होने से पूर्व वह इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि वह छूत सांस्पर्सिक या घृणित रोग का रोगी नही है।

(ब) प्रत्येक ऐसा कर्मचारी कभी भी मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निर्देश यिे जाने पर अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवायेगा।

(स) उपखण्ड अ या ब के उपबंधो की अनुपालना मे ऐसे कर्मचारियो द्वारा असफल होने पर उसे अनुज्ञापत्र शुदा स्थान पर किये जाने वाले वाणिज्य के संबंध में न तो नियोजन किया जावेगा न ही रखा जावेगा।

13- cdjh ;k feBkbl dh ndku ds fy;s fo'k"k 'krs%& अनुज्ञाधारी ऐसे स्थान जो बेकरी या मिठाई की दुकान के रूप में अनुज्ञा पत्र प्राप्त हों उपविधि 12 में प्रावधित सामान्य शर्तो के अतिरिक्त निम्न विशिष्ट शर्तो का पालन करेगाः–

1. वाणिज्यिक भवन में गुंदने भण्डारित करने तथा विक्रय के लिये पृथक पृथक व्यवस्था होगी।
2. गूंदन कक्ष की दीवारें भूतल से 250 सेमी. की ऊचॉई तक सीमेण्ट प्लास्टर, चिप्स या टाइल्स की पक्की बनी होगी। गुंदन क़क्ष की छत सादा होगी ताकि उस पर जाले व धूल न चिपक सके।
3. प्रत्येक व्यक्ति जो गुंदन क्रिया के लिये नियोजित हो सूती या लिलन से बनी हूई स्वच्छ सफेद कपड़े की पोशाक इस प्रकार पहनेगा कि उसका आगे का शरीर गर्दन से घूटनों तक ढका हो।
4. बेकरी में प्रयुक्त होने वाली गुंदन मेज या तल साफ तथा दरार रहित होगा व इस प्रकार का बना होगा कि उसमें जल नही सोखा जा सके जब मेज प्रयोग में नही लाई जा रही होतो उसे सफेद कपड़े से ढक कर रखा जावेगा।
5. कोई भी गुंदन मेज पर नही डालेगा।
6. अनुज्ञाधारी रोटी या मिठाई को विक्रयार्थ एक स्थन से दूसरे स्थन पर केवल बन्द गाडी या बंद ठोकरी टिन या अन्य ऐस ह पात्र में ले जाने की व्यवस्था करेगा जो प्रत्येक समय पूर्णतया स्वच्छ रखा जायेगा तथा कोई भी व्यक्ति ऐसी कार्यवाही नही करेगा जिससे रोटी या मिठाई जो परिवहित की जा रही हो, गन्दी दूषित या अस्वास्थ्यकर हो जावे।

14- gkVy o jsLVksj.V ds fy, fof'k"V 'krs%& होटल एवं रेस्टोरेण्ट कं रूप में प्रयुक्त किये जाने वाले स्थान के लिये उपनियम 12 में वर्णित सामान्य शर्तो के अतिरिक्त अनुज्ञाधारी निम्न विशिष्ट शर्तो का और पालन करना होगाः–

1. किसी भी व्यक्ति को भोजन कक्ष के अतिरिक्त अन्यत्र भोजन किये जाने की अनुमति नही दी जावेगी। परन्तु ऐसी अनुमति होटल में ठहरने वाले यात्री को अपने कक्ष में भोजन करने के लिये दी जा सकेगी।
2. होटल में उचित संख्या में मुत्रालय तथा शौचालय होगें। प्रत्येक शौचालय या मूत्रालय को पूर्णतया स्वच्छ रखा जावेगा तथा प्रतिदिन कीटाणूनाशक दवाइयों का प्रयोग कर किटाणू रहित किया जावेगा। प्रत्येक होटल में फ्लश शौचालय बनाने आवश्यक होगें केवल सूखे तहारत नही खायेंगें।
3. जब कभी होटल अथवा रेस्टोरेण्ट में ध्वनि विस्ताकर यंत्रो की व्यवस्था की जाये तो यह बात विशेष ध्यान में रखनी होगी की समीप के भवन स्वामियों अथवा अधिशासीयों को किसी प्रकार की असुविधा या अनुत्रास न हो।
4. भोजन कक्ष तथा रसोई की फर्श, पत्थर, सीमेण्ट चिप्स या अन्य ऐस पदार्थ से बनी होगी तथा इस प्रकार की ढालू होगी की उसमें संपूर्ण तरल पदार्थ सरलतापूर्वक नाली में बहाया जा सके।

5. भोजन एवं रसोई घर में संवातन की पर्याप्त व्यवस्था इस प्रकार की जावेगी कि वह अनुज्ञा प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार हो। इस प्रकार का कोई लैम्प या अन्य प्रकाश प्रयोग मे नही किया जा सकेगा जिसका की बनावट ऐसी हो की धुँआ या काजल उत्पन्न हो।
6. भोजन कक्ष एवं रसोई घर के दरवाजे, खिड़कियॉ आदि इस प्रकार बने हो कि मक्खियों व धुल से रक्षा हो सके अनुज्ञा प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार जाली व अच्छे चिको से सुरक्षा की जायेगी।
7. संपूर्ण पका हुआ भोजन इस प्रकार रखा जायेगा ताकि वह किसी भी प्रकार हानिकर, दुर्गन्धमय विषैला या दूषित न हो।
8. होटलों की अवस्था में एक पंजिका रखी जावेगी जिसमे होटल में ठहरने वाले व्यक्तियों के नाम व पतें, आने जाने की तिथी, समय व अनुज्ञा प्राधिकारी द्वारा समय समय पर अपेक्षित अन्य सूचना प्रविष्ट की जावेगी।

15- <u>xl ;Dr ty d fy, mRiknu gr fof'k"V 'kr%&</u> गैस युक्त जल के उत्पादन के लिए उपनियम 12 में विहित सामान्य शर्तो के अतिरिक्त अनुज्ञाधारी को निम्न और विशिष्ट शर्तो का पालन करना होगौः–

1. जहॉ नल व्यवस्था न हो, वहॉ जहॉ तक संभव हो, यंत्रालय के भवन में सार्वजनिक जल प्रदाय से ही संबंध किया जावेगा।
2. अनुज्ञापत्र शुदा स्थन में निम्नलिखित के लिए पृथक व पर्याप्त व्यवस्था की जावेगी।
   (अ) बोतलें साफ किये जाने हेतु
   (आ) जल भण्डारित किये जाने व साफ किये जाने हेतु
   (इ) बोंतले भरे जाने हेतु
   (ई) भरी हुई बोतलों के भण्डारण हेतु
3. उत्पादन के लिये प्रयुक्त होने वाले जल को भली प्रकार शोधित एवं किटाणुविहिन किया जायेगा। तथा शोधित करने वाले पात्रों एवं सामग्री को ऐसी प्रणाली से जैसा अनुज्ञा प्राधिकारी निर्देश दे कीटाणू विहिन किया जावेगा।
4. संपूर्ण प्रकार के शरबत स्टेनलेस स्टील या चीनी मिट्टी के बने पात्रों में तैयार कियो जायेगें एवं उन्हे ऐसे स्थानों या आलमारियों में रखा जावेगा जहॉ मक्खी मच्छर आदि प्रविष्ट न हो सके।
5. अनुज्ञा पत्र में स्थान से किसी भी प्रकार का गैस जल या शरबत आदि विक्रयार्थ तक तक निर्गमित नही किये जाऐगें जब तक कि उन पर उत्पादनकर्ता के पूर्ण नाम व पते का लेबिल नही लगा दिया जाए।
6. गैस या जल या जल से उत्पादित किये जाने वाले अन्य पेय पदार्थे से यदि जनस्वास्थ्य को हानि की आशंका हो या किसी प्रकार की महामारी फैलने का भय हो, तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों को अधिकार होगा कि वह ऐसे पदार्थो का उत्पादन एवं विक्रय सर्वदा के लिए या ऐसी अवधि के लिए जो आवश्यक समझी जावे बन्द करादें।

16- <u>cQ mRiknu d LFkkuk gr fof'k"V 'kr%&</u> बर्फ उत्पादन के स्थानों के लिए उपनियम 12 मे प्रावधित सामान्य शर्तो के अतिरिक्त अनुज्ञाधारी निम्नलिखित विशिष्ट शर्तो का पालन करेगा।

1. जहॉ जल प्रणाली की व्यवस्था हो, वहॉ यन्त्रालय के भवन में जल संबंध केवल सार्वजनिक जल प्रदाय से ही किया जावेगा तथा अनुज्ञा प्राधिकारी को विशिष्ट अनुमत के बिना अन्य कोई जल प्रयुक्त नही किया जावेगा । जहॉ नल प्रणाली की व्यवस्था न हो वहॉ जल लाने व उसे भण्डाारित करने के लिए ऐसे पात्र प्रयुक्त किये जाऐगें जैसा कि अनुज्ञा प्राधिकारि द्वारा र्निधारित किया जावेगा।
2. बर्फ के उत्पादन हेतु प्रयुक्त किया जाने वाला जल पूर्ण रूपेण शोधित व शुद्ध होगा तथ उसे मशकों या ऐसे अन्य पात्रों से जिन्हे अनुज्ञा प्राधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया हो नही ले जाया जावें

17- iku dh nqdkuks gsrq fof'k"V 'krsZ& अनुज्ञाधारी उपविधि 12 मे प्रावधित अन्य सामान्य शर्तो के अतिरिक्त निम्नलिखित विशिष्ट शर्तो का पालन करेगाः–

1. अनुज्ञाधारी द्वारा अनुज्ञापत्र शुदा स्थान मेंप्रयुक्त किये जाने वाले संपूर्ण पात्रों को प्रत्येक दिवस संपर्ण रूप से साफ किया जाएगा।
2. पान लगाकर रखे जाने वाले तख्तें बोर्ड या पाटे पर पीतल या स्टील की चद्दर लगाई जावेगी उस पर सदैव स्वच्छ कपड़ा या टाट रखा जावेगा। लगे हुए पान शीशें के केस में जो तीन और से बंद हो रखे जावे ताकि उनकी धूल से रक्षा हो सके।
3. प्रयुक्त किया जाने वाला कत्था, चुना, मसाले सूपारी आदि बढिया किस्म के प्रयोग में लिये जायेगे तथा उन्हे भली प्रकार शोधित करके प्रयोग में लिया जावेगा। जर्दें और किमाम के अलाव दुकान पर और किसी प्रकार की नशें की वस्तु नही रखी जावेगी।
4. प्रयुक्त किया जाने वाला कत्था, चूना प्रत्येक दिवस ताजा प्रयोग में लिया जावेगा व स्वच्छ पात्रों मे रखा जाऐगा।

18- [kkn~; oLrq d sfy, fof'k"V 'krsZ& अनुज्ञाधारी उपविधि 12 में प्रावधित अन्य सामान्य शर्तो के अतिरिक्त अन्य शर्तो का और पालन करेगाः–

1. संपूर्ण प्रकार की मिठाई , नमकीन चाट आदि निर्मित किये जाने हेतू प्रयुक्त किये जाने वाले पात्रों को प्रत्येक दिन भली प्रकार स्वच्छ रखा जावेगा।
2. मिठाई नमकीन आदि को जालीदार कपड़े और जाली में इस प्रकार आच्छादित किया जाऐगा ताकि उसमें मिट्टी मक्खी आदि प्रवेश न कर सके।
3. चाट आदि के लिये काम में लिए जाने वाले पत्तों दोने या तस्तरियों आदि को पूर्णरूपेण स्वच्छ करके प्रयुक्त किया जावेगा।
4. झूठे पत्ते, दोने आदि को डाले जाने हेतु एक पृथक पात्र की व्यवस्था की जावेगी ताकि सार्वजनिक मार्ग पर किसी प्रकार की गंदगी न फैलने पावे।
5. अनुज्ञाधारी वे सब सावधानियॉ बरतेगा, जिससे किसी प्रकार की अशुद्धता न हो, तथा भोज्य पदार्थ विषैले दूषित या अस्वास्थ्य कर न हों। भोजन व पेय पदार्थ मिलावटी नहीं होगा।

19- [kk| is; inkFkZ dh mRiknu djus okyh QSDVªh;ks d sfy, fof'k"V 'krsZ& अनुज्ञाधारी उपविधि 12 में प्रावधित अन्य सामान्य शर्तो का और पालन करेगाः–

1. सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ अथवा उपयोग मे आने वाली सभी प्रकार के पदार्थ वाणिज्यिक भवन अथवा फैक्ट्री में शुद्ध व स्वच्छ व ताजा बिक्री हेतु रखेगा।
2. संपूर्ण प्रकार के खाद्य व पेय पदार्थ मिलावटी अथवा मिला वाण्टेड न तो बेच सके और नही संग्रहित कर सकेगा।
3. खाद्य व पेय पदार्थ अथवा अन्य सामग्री जो उपयोग अथवा बिक्री के लिए रखी जावेगी व स्थान अथवा बरतन इत्यादि स्वच्छ अथवा साफ होगें।
4. पेय पदार्थ अथवा खाद्य पदार्थो में हानिकारक रंग खुशबू अथवा और कोई स्वास्थ्य को अहितकर वस्तु का मिश्रण न तो करेगा और न ही कोई हानिकारक पिजर्ववेरिक पिजर्व करने के लिए नहीं डालेगा नही उपभोग में लेगा।
5. उत्पादन के लिए प्रयुक्त होने वाले सभी प्रकार के पात्र साफ, स्वच्छ कीटाणु विहीन होगें।
6. अनुज्ञा प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को संस्थान या फैक्ट्री के निरीक्षण करने अथवा खाद्य व पेय पदार्थो की जॉच करने अथवा आवश्यकता पड़ने पर सेम्पल लेने के लिए पूर्णतया सहयोग देगा और बिक्री हेतु संचित सामान कहॉ से आयात किया गया है उसके संबंध मे पूर्णतया सही जानकारी देगा और बिक्री हेतू संचित सामान कहॉ से आयात किया गया है उसके संबंध में पूर्णतया सही जानकारी देने के लिए बाध्य होगा। अनुज्ञा प्राधिकारी द्वारा अभाज्य घोषित खाद्य व पेय पदार्थ अथवा मिलावटी मिला वाण्टेड खाद्य सामग्री को अनुज्ञापत्रधारी के खर्चे पर नष्ट करने के लिए या अन्य निर्देश जो दिये जाऐगें उनकी अनुपालना के लिए बाध्य होगा।

20- fujh{k.k&

1. अनुज्ञाधारी वाणिज्यिक भवन में एक निरीक्षण, पुस्तिका रखेगा जो अध्यक्ष, मुख्य नगरपालिका अधिकारी निगम द्वारा अन्य प्राधिकृत अधिकारी के निरीक्षणार्थ सदैव खुली रहेगी।
2. मुख्य नगरपालिका अधिकारी या स्वास्थ्य अधिकारी या स्वास्थ्य निरीक्षक अनुज्ञापत्र शुदा स्थान के वाणिज्यिक भवन में उनके कार्य के समय में प्रवेश कर सकेगें तथा भवन खाद्य सामग्री एवं पेय वस्तुओं, संपूर्ण बर्तन व पात्र क्रोकरी आदि फर्नीचर का निरीक्षण कर सकेगें। अपनी निरीक्षण रिपार्ट अनुज्ञाप्राधिकारी को देगें। जो उस पर नियमानुसार कार्यवाही करेगा। निरीक्षण रिपोर्ट को एतदर्थ रखी गई निरीक्षण पुस्तिका में भी अंकित किया जावेगा। अनुज्ञाधारी निरीक्षण के समय प्राधिकारियों को निरीक्षण हेतु सूविधा प्रदान करेगा।
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी ऐसे स्थान से ऐसे खाद्य या पेय पदार्थ जो उनकी सम्मति मे बासी , अस्वास्थ्यकर या मानव उपयोग के लिए अनुचित है को स्वये हटाने में सक्षम होगें।

21- vihy%&

किसी अनुज्ञापत्र को मंजूर करने, उसके निंलबंन करने, उसको रोकने अथवा वापस लेने के अनुज्ञा प्राधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की तारीख, उसकी प्रति प्राप्त करने के आवश्यक समय को कम करके, तीस दिवस के भीतर कलक्टर को अपील कर सकेगा और अपील प्राधिकारी का आदेश अंतिम होगा और किसी भी कार्यालय में प्रश्नगत किए जाने के दायित्व के अधीन नही होगा।

22- 'kkfLr%&

जो कोई ऐसे निर्देश के प्रतिकूल यथापूर्वोक्त अपेक्षित अनुज्ञा पत्र के बिना या उसकी किसी शर्त के उल्लघन में, उसके निलम्बन की अवधि में या ऐसी अनुज्ञप्ति के वापिस लिए जाने के पश्चात् किसी स्थान का उपयोग करता है अथवा उसका उपयोग करने की अनुज्ञा देता है तो ऐसे जुर्माने से जो, 1000 रू से कम नही होगा किन्तु 2000 रू से ज्यादा का नही होगा दण्डित किया जाएगा।

23- le>kSrk%&

न्यायालय में विचाराधीन अभियोग को वापिस लेने अथवा समझौता का अधिकार नगरपालिका अधिनियम 2009 प्रावधानों कें अन्तर्गत गठित समिति को होगा।

बीकानेर नगर निगम

çi=&1

देखिए उपनियम 5 (1)

होटल, रेस्टोरेण्ट, बेकरी, मिठाई व पान आदि की दुकान लगाने के लिये अनुज्ञापत्र का प्रार्थना पत्र

सेवा में,

श्रीमान अनुज्ञा प्राधिकारी,
बीकानेर नगर निगम

महोदय,

मैं/हम नगर निगम की सीमा में होटल/रेस्टोरेण्ट/बेकरी/मिठाई व पान आदि की दुकान खोलना चाहता हूँ/चाहते है/जो चालू है के लिए अनुज्ञापत्र प्राप्त करना चाहता हूँ/चाहते है। इस संबंध में आवश्य विवरण इस प्रकार हैः–

1. अनुज्ञार्थी का नाम व पता...
2. पिता/पति का नाम..
3. आयु...
4. व्यवसाय स्थान का विवरण...
5. सीमाएँ मौहल्ला/रास्ता/बाजार..
6. अन्य आवश्यक विवरण..

स्थान का मानचित्र दो प्रतियों में संलग्न है। स्थान पर जलोत्सारण व्यवस्था को जो प्रस्तावित किया गया है या किया जाता है मानचित्र में अंकित कर दिया गया है।

अतः निवेदन है कि मूझे/हमें कृपया अनुज्ञापत्र जारी किया जावे। मैं/हम प्रतिज्ञा करता हूँ/करते हैं कि नगर निगम, बीकानेर होटल, अनुज्ञापत्र, बेकरी, मिठाई, पान आदि की दुकानों के नियंत्रण व नियमन उपविधियॉ सन् 2010 के उपबंधों से पाबंद रहूगॉ/रहेगें तथा उनकी पूर्णतया पालन करूंगॉ/करेगें।

अनुज्ञापत्र शुल्क मॉगे जाने पर तत्काल नगर निगम कोष में जमा करवा दूँगा/करवा देगें।

दिनॉक..............................

अनुज्ञार्थी के हस्ताक्षर

अनुज्ञार्थी का नाम एवं पता

बीकानेर नगर निगम

çi=&2

अनुज्ञा पत्र

देखिए उपविधि 5 (3)

श्री..नाम पुत्र/पुत्री/पत्नी/ ....जाति...आयु... पहचान चिन्ह.. निवासी... स्थाई पता... को होटल/रेस्टोरेण्ट/बेकरी/मिठाई की दुकान/पान आदि की दुकान चलाये जाने हेतु एतद्‌द्वारा अनुज्ञापत्रित किया जाता है।

(स्थान का नाम) ....

उक्त अनुज्ञा पत्र होटल/रेस्टोरेण्ट/मिठाई/बेकरी/पान आदि की दुकान के नियंत्रण व नियमन उपविधियॉ 2010 के अन्तर्गत दिनॉक...से .... तक की अवधि के लिये जारी किया जाता है।

दिनॉक..

uohuhdj.k

यह अनुज्ञापत्र दिनॉक..से .... तक के लिए नवीनीकृत किया गया है।

दिनॉक.......................................

e[; uxj ikfydk vf/kdkjh
chdkusj uxj fuxe